

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपरान्त रुप्रिरी सिकराय
 रामराम बनाम
 किसम मुकदमा अम्बार्ड निषेधाज्ञा मु० नं० 111/17

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26-8/19	<p>दिनांक 23/8/19 का शपथीय अवकाश होने के कारण पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र अम्बार्ड निषेधाज्ञा पर बहम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहम का मनन किया।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अम्बार्ड निषेधाज्ञा साबित है। एवं प्रार्थी का प्रथम दृष्टया कस साबित है, अपूर्णीय क्षति की सूझत प्रार्थी की है, सुविधा व तुला का संतुलन भी प्रार्थी गण के पक्ष में है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अम्बार्ड निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि ख० नं० 4, 121, 225, 378, 426, 661, 732, 735, 2, 681, 682, 687, 694, 733, 734 वार्केग्राम हींगवा तह० सिकराय जिला दीमा के शपथ रिपोर्ट व मौके की थप्याकत सिविल बनायी रखे। निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर खुद न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली के मूल शुमार होकर नंबर में कम हो।</p> <p style="text-align: right;">31 26/8/19 उपरान्त अधिकारी सिकराय जिला-दोसा</p>	